स०स०–2 / पेन–12 / 2025–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक / /2025

विषय : डा० सुबोध कुमार, सेवानिवृत्त प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरेयाकोठी, सिवान के पेंशन / उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे कहना है कि डा० सुबोध कुमार, सेवानिवृत्त प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरेयाकोठी, सिवान के दिनांक–31.07.2024 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप इन्हें अनुमान्य पेंशन / उपदान एवं पेशन रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त आदेश इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि यदि इनके विरुद्ध किसी बकाया राशि / असमायोजित अग्रिम आदि की वसूली का मामला प्रकाश मे आता है तो उसकी वसूली नियमानुकूल की जाएगी ।

(3) इस पत्र के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक सलग्न है

(i) पेशन प्रपत्र दो प्रति में
(ii) सयुक्त फोटो
(iii) हस्ताक्षर का नमूना
(iv) पारिवारिक सदस्यों की सूची
(v) विभागीय बकाया रहित प्रमाण–पत्र
(vi) सेवा इतिहास
(vii) अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र
(viii) प्रभार रिपोर्ट
(ix) कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, सिवान द्वारा निर्गत मॉग रहित प्रमाण पत्र।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के संबध मे पूर्णत. सतुष्ट होने के उपरान्त प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

(शैलेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–2 / पेन–12 / 2025– 623(2) पटना, दिनांक 21 / 4 / 2025

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरेयाकोठी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि डा० सुबोध कुमार का दीर्घकालीन बाकी / बेबाकी प्रमाण–पत्र सीधे महालेखकार, बिहार को भेजते हुए इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय।

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान / डा० सुबोध कुमार, सेवानिवृत्त प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरेयाकोठी, सिवान पत्राचार पता–ग्राम / मोहल्ला–सिरसा (दिघवा दुबौली), पो०–सिरसा, थाना–वैकुन्ठपुर, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकार–03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

D>Sec 2>2025>PEN 2025